

बिहार सरकार  
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

ज्ञापांक-2/वि. 1-44/2009...../ पटना, दिनांक ...../2018  
सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,  
वीरचन्द्र पटेल पथ,  
पटना।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत्यादेश सं०-294, दिनांक 03.10.2012 के द्वारा योजना बजट शीर्ष "2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-0101-खेलकूद-2002-कॉन्फ्रेंस कार्यशाला सेमिनार", विपत्र कोड-पी. 2204007890101, मांग संख्या-08 के अन्तर्गत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को स्वीकृत एवं विपत्र संख्या-94/2012-13, कोषागार प्रमाणक सं०-पी./ 2204/00014, दिनांक- 16.02.2013 के माध्यम से निकासी की गयी अव्यवहृत राशि ₹ 8,00,000/- (आठ लाख रुपये) मात्र राजकोष में वापसी की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

- राशि की राजकोष में वापसी मांग संख्या-08 के अधीन बजट शीर्ष "2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-911-घटाएँ-अधिक अदायगियों की वसूलियाँ-0101-अधिक/अनापेक्षित निकासी की गयी राशि की वापसी", विपत्र कोड-08-2204009110101 के अन्तर्गत विषय शीर्ष- 5001- अन्य प्रभार में होगा।
- राशि अवर सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना के माध्यम से राजकोष में वापस की जायेगी।
- विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-294, दिनांक 03.10.2012 (प्रति संलग्न) द्वारा पायका युवा क्रीड़ा एवं खेल अभियान पायका के अंतर्गत विभिन्न खेल कार्यक्रमों के आयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण, पटना को उपलब्ध करायी गयी कुल राशि ₹ 8,00,000/- (आठ लाख रुपये) मात्र अव्यवहृत रहने के फलस्वरूप राजकोष में वापसी की स्वीकृति दी गयी है।
- प्रस्ताव पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

~~अनुसूचित~~

बिहार राज्यपाल के आदेश से  
ह०/-  
(तारानन्द महतो वियोगी)  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक ...../ पटना, दिनांक ...../2018  
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 723...../ पटना, दिनांक 18/11...../2018  
प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, छात्र एवं युवा कल्याण/अवर सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी-3/लेखा शाखा (दो प्रतियों में)/आई.टी. मैनेजर, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार, पटना/निदेशक-सह-सचिव, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18  
सरकार के उप सचिव।